INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS

VOLUME 2, ISSUE 10 October, 2014

ISSN-2320-2882

ORIGINAL ARTICLE

प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा का अधिकार एक समीक्षा

डॉ. *बनवारी लाल शर्मा*

एम.एससी.(रसायन), *एम.ए.*(इतिहास),

एम.एड. (शिक्षा),पीएच.डी.(शिक्षा)

(अ) प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं अधिकार

भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत से लगभग ४,००० हजार वर्ष पूर्व हुआ था। किन्तु उसके सुसम्बद्ध स्वरूप के दर्शन, वैदिक काल के आरम्भ में होते हैं। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। अतः कुछ लेखकों ने वैदिक कालीन शिक्षा को "ब्राह्मणीय शिक्षा" और कुछ ने "हिन्दू शिक्षा" की संज्ञा दी है।

प्राचीन भारत के मनीषी इस बात से भली भाँति अवगत थे कि शिक्षा - व्यक्ति के सर्वांगीण विकास , समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। अतः ऐसी प्रशंसनीय प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसने न केवल विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा, वरन ज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक विचारों को भी जन्म दिया, जिनसे भारत का भाल आज भी गर्व और गौरव से उन्नत है। इस दृष्टि से मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए एफ.डब्ल्यू टॉमस ने लिखा है कि - "भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो या जिसने इतना चिर स्थायी शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।"

• शिक्षा के महत्त्व की प्राचीनता - प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता था। इसका एक प्रमाण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्त्रोत , अन्तर्दृष्टि , अन्तर्ज्योति , ज्ञान-चक्षु और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। उस युग के भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सभी संशयों का उन्मूलन और उनकी सभी बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त अन्तर्दृष्टि , व्यक्ति की बुद्धि , विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है, उसके सुख , सुयश एवं समृद्धि में योग देती है, उसे

जीवन के यथार्थ महत्त्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे भवसागर से पार कराके, मोक्ष प्राप्ति में सहायता देती है।

• प्राचीन निःशुल्क, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा - प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी, परन्तु शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र अपने गुरू को दक्षिणा अवश्य देता था। वह दक्षिणा के रूप में भूमि, धन, पशु, अन्न कुछ भी दे सकता था। दक्षिणा इतनी कभी नहीं होती थी जो शिक्षक का पर्याप्त पारिश्रमिक कहा जा सके।

शिक्षा निःशुल्क होने के कारण सार्वभौमिक और सबके लिए थी। किन्तु कुछ लेखकों का विचार है कि शिक्षा अनिवार्य थी। डॉ. वेद मिश्र के अनुसार,उनका यह विचार -मनु के इस कथन पर आधारित है-''मनु का कथन है राज्य और समाज को ५ या ८ वर्ष की आयु के पश्चात् बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए और जो व्यक्ति अपने बच्चों को इस आयु के पश्चात् घर पर रखे,उसको दण्ड दिया जाना चाहिए।''

शिक्षा व्यवस्थाः-इस सब के अतिरिक्त शिक्षा पद्धति वैयक्तिक थी। इस सम्बन्ध में गुन्नार मिरडल लिखते हैं-''हिन्दू धर्म की सीमा के अन्तर्गत शिक्षा की पद्धति वैयक्तिक थी क्योंकि प्रत्येक गुरु के अपने स्वयं के शिष्य होते थे।''कक्षाएँ छोटी होती थीं और उनमें १५ से २० छात्र से अधिक नहीं होते थे। अतः शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र के प्रति व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना सम्भव था। कक्षा नायकीय पद्धति से संचालित की जाती थीं। यह पद्धति इतनी अधिक उपयुक्त एवं सफल थी कि अँग्रेज शिक्षाविद्,बेल और लैंकास्टर ने भारत की इस पद्धति का इंग्लैंड में सूत्रपात किया था। परन्तु वे इस पद्धति को आदर्श रुप नहीं दे सके।

प्राचीन भारतीय शिक्षा में छात्रों की आदतों,दिनचर्या,खान-पान, वेशभूषा, आचार-व्यवहार पर गुरु जी का पूर्ण नियंत्रण रहता था। गुरु शिष्य सम्बन्ध प्रत्यक्ष एवं श्रेष्ठ होते थे। छात्र अपने शिक्षक का हृद्य से सम्मान करते थे। गुरु भी अपने छात्रों के प्रति पुत्रवत् व्यवहार करते थे एवं गुरु को छात्र का बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पिता माना जाता था। निष्कर्ष रुप में हम डॉ०ए०एस०अल्तेकर के शब्दों में कह सकते हैं -''शिक्षक एवं छात्र के सम्बन्ध स्नेहपूर्ण तथा घनिष्ठ थे और उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे।''

प्राचीन भारत में दण्ड के रुप में समझाना, बुझाना, उपदेश एवं उपवास आदि थे। शारीरिक दण्ड दिया जाता था परन्तु कठोर नहीं। शिक्षा पर किसी का बाह्य नियंत्रण नहीं था। राज्य सरकार या कोई राजनीतिक दल उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। डॉ०पी०एन०प्रभु के अनुसार -''प्राचीन भारत में शिक्षा

-राज्य या सरकार या किसी दलबन्दी के किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्त थी।''

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा सार्वभौमिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य थी जिसमें मानवीय विकास के सभी गुण विद्यमान थे। उस समयय छात्र के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता था अतः वर्तमान अनिवार्य शिक्षा का कानून प्राचीन व्यवस्था के समकक्ष नहीं पहुँचता है।

(ब) आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं अधिकार का कानून

विभिन्न शिक्षाविद् कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा-प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यह पहली सीढी है जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ट सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक और उच्च शिक्षा का नहीं है। सामाजिक ज्ञान विश्वकोश के अनुसार-''एक वयस्क होते हुए बालक को समाज में प्रवेश के योग्य बनाने की प्रक्रिया का नाम शिक्षा है।''

शिक्षा का आधुनिक महत्त्वः- प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से ना होकर,देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका हर कदम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जनसाधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। इस शिक्षा की अवहेलना करने के कारण ही भारत का पतन हुआ है। अतः इसका उत्थान करके ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इस दृष्टि से जवाहर लाल नेहरु का निम्नांकित विचार औचित्यपूर्ण है-"यदि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जायेगा तो हमारे भारत की कल क्या दशा होगी? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी राज्य का कर्त्तव्य है।"

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानूनः- शिक्षा का अधिकार कानून यानि प्रत्येक भारतीय बच्चे को जिसकी आयु ६ से १४ वर्ष है उसे शिक्षा प्राप्त करने का हक है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं पूर्ण सुविधायुक्त प्राथमिक शिक्षा उसके घर के नजदीक के विद्यालय में अनिवार्य रुप से दी जायेगी। कानून में वर्णित सभी सुविधाओं का भार भारतीय सरकार उठायेगी।

शिक्षा व्यवस्थाः- विद्यालय भवन पक्के व अच्छे स्तर के होंगे। विद्यालय आधुनिक सुविधायुक्त होंगे। विद्यालय घर के पास एक किमी के दायरे में होंगे। छात्र और शिक्षक उचित अनुपात में होंगे व योग्य शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सम्पूर्ण शिक्षण सामग्री पूर्ण रुप से निःशुल्क होगी। गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्तर की शिक्षा दी जायेगी। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा। विद्यालय में विद्यार्थी के पूर्णकालिक ठहराव को प्राथमिकता दी जायेगी। सुदूर ग्रामीण, पहाड़ी एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में वहाँ की परिस्थिति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

तुलनात्मक अध्ययनः-इन सभी महत्त्वपूर्ण घोषणाओं एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने से सभी को शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता है। कानून ने तीन वर्ष का सफर तय कर लिया है। परन्तु आज तक इसकी किसी भी धारा पर शायद पूर्ण कार्य हुआ हो। शिक्षकों की नियुक्ति न होने के कारण विद्यालय खाली पड़े हैं। ड्रॉप-आउट नहीं रुक रहा है। कक्षाएँ खपरैल या पेड़ के नीचे लग रही हैं। नामांकन बढने के बजाय घट रहा है। इस योजना के लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। गैर सरकारी संगठन 'प्रथम' व 'असर' की मानें तो शिक्षा का स्तर गिर रहा है। कक्षा ४,५,६,७ व ८ के छात्र किसी छोटी कक्षा की हिन्दी की पुस्तक नहीं पढ पाते हैं और न ही अंकगणित की सामान्य गणनाएँ कर पाते हैं।

दूसरी ओर प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की विशेष धाराएँ नहीं होने के बावजुद बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता था एवं उपर्युक्त धाराओं के अनुसार शिक्षा पर पूर्ण अमल किया जाता था यथा- शिक्षक-छात्र अनुपात सही था। ड्राप-आउट नहीं होता था। बजट की कोई समस्या नहीं थी। बालक की प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं उसकी सम्पूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। छात्र-शिक्षक सम्बन्ध केवल शिक्षक काल तक ही सीमित नहीं थे, वे शिक्षणेत्तार एवं आजीवन चलते थे।

शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात कहता है जबकि लगभग ८०-८५ प्रतिशत अभिभावक एवं ३५-४० प्रतिशत अध्यापक यह नहीं जानते कि यह कानून क्या है? और किसके लिए है?

लेखक एक शोधार्थी है जो कि इसी कानून से सम्बन्धित समस्या - "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के प्रति अध्यापकों एवं अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन" पर कार्य कर रहा है। शोध के दौरान दौसा जिले में बहुत से विद्यालयों में जाने का अवसर मिला तो पाया कि इस योजना से बहुत कम लोग परिचित हैं एवं विद्यालयों में यह योजना मृत प्रायः प्रतीत होती है।

इस प्रकार योजनाओं के घोषणा-पत्र से भारत शिक्षित नहीं होगा। सरकार को अपनी नीतियों पर सकारात्मक अमल करना होगा। राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। दृढ इच्छा शक्ति के साथ अब तक के कार्यों की समीक्षा करनी होगी एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जनता के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सम्पूर्ण जीवन को प्रकाशित करने वाली एवं प्राचीन भारतीयों-मनीषियों की सोच से विकसित जिससे प्रत्येक बच्चा शिक्षा की पवित्र धारा से जुड़ सके और भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर सके ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करनी ही होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1-पी.डी.पाठक: भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, पृष्ठ- 14,15,16

2-नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, सर्व शिक्षा अभियान, यूनिसेफ I

3-शैक्षिक मंथन: राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, वर्ष-2,अंक-10,1मई 2010 I

4-शैक्षिक मंथन:राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, वर्ष-3 ,अंक -11,1जून2011 I